

## प्राप्ति

### उपर्युक्त

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री.....  
विभाग..... (संस्थान का नाम) में दिनांक..... को

गैरिकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/ दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने..... विभाग/ संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिषद्वारा क्रमांक प.6 (2)वित्त/ साविलेनी/ 2021 दिनांक..... को अच्छे से पढ़/ समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/ प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, व्यूनतम शैक्षिक पत्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू-पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/ फर्जी अथवा गलत पायी जाती हैं तो मुझे गैरिकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं कलंगा/ करुणी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च भानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/ करुणी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/ करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिस आवधि होने के उपरान्त स्थान परिवर्तन की घाँट नहीं करूँगा/कराऊँगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभाति अवगत हूँ कि जिस रिका पद के विलम्ब शपथग्रहिता को गैरेस्ट फैकल्टी द्वारा याद गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त स्थान स्थापित हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अधो से समझ लिया है कि यह व्यावस्था पूर्ण रूप से अस्वाधी तथा एक सेसेस्टर या एक सेक्षन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूँगा/कराऊँगी।
10. इस व्यावस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैरेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं दूसाथ जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूँगा/कराऊँगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राविकारी अथवा समुचित प्राविकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी नियम या नियाय अधिकारी के द्वारा पदब्धुत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अधिकारी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में संवित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य लूपलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपरिवर्ति की दशा में संस्थान या संस्थान अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैरेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अग्रिमता तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूँगा तथा इसका उत्तरदायी रहूँगा।

शपथग्रहिता

#### संस्थापन

मैं शपथपूर्वक दयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त दर्जि संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना सेरीज़ संख्याएँ में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभाति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूँगा।

शपथग्रहिता